न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 18/2022
दायर दिनांक : 06/04/2022
निर्णय दिनांक : 15/12/2022

उनवान

1. गीताबाई पत्नी शंकरदास बैरागी निवासी रायपुरिया खुर्द तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता लालू भील निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
2. रामा पिता खेमराज भील निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
3. डालू पिता नारू भील निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रायपुरियाखुर्द पटवार हल्का उसरोल के आ.सं. 515 रकबा 0.08 है., आ.सं. 517 रकबा 0.23 है., आ.सं. 518 रकबा 0.23 है. कुल किता 3 रकबा 0.54 है. भूमि स्थित है। प्रार्थिया ने वर्तमान में प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजियात पर काबिज हो वर्तमान में गेहूं की फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थिया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त की ही है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 प्रार्थिया के उदयपुर आने जाने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रार्थिया की उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजियात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नींव खोद पक्का निर्माण करना चाहते हैं आराजियात के हक हकूक नष्ट करने के लिये उतारू हैं, प्रार्थिया के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। प्रार्थिया के कब्जेशुदा आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा है जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 से 3 नींव खोद निर्माण नहीं करे, कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करे, आराजियात के हक हकूक को नष्ट नहीं करें, कब्जे एवं उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे। ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे, न ही अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट एवं अधिनस्थ कर्मचारियों आदि से करावें। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। निषेधाज्ञा प्रदान करने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी परन्तु जारी न होने पर प्रार्थिया को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.20 16:41:56 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल ने वकालतनाम दिनांक 18.05.2022 को पेश किया। वकील उभयपक्ष की बहस दिनांक 28.06.2022 को सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौके व कब्जे में दखल अन्दाजी नहीं कर यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

निषेधाज्ञा जारी की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 02.11.2022 को जवाब बंद किया गया एवं वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थिया के प्रार्थना के तथ्य अनुसार अप्रार्थीगण सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मूल वाद संख्या 34/2022 के निर्णय तक ग्राम रायपुरियाखुर्द पटवार हल्का उसरोल के आ.सं. 515 रकबा 0.08 है., आ.सं. 517 रकबा 0.23 है., आ.सं. 518 रकबा 0.23 है. कुल किता 3 रकबा 0.54 है. भूमि पर उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड, मौके एवं कब्जे की यथास्थिति बनाई रखें। निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.20 16:41:56 IST
Reason: SelfAttested